


1	प्रधानाध्यापक, रामावि धोरण, कुम्भलगढ, राजसमन्द	श्री मुकेश कुमार माली, प्रधानाचार्य, राउमावि मोरचा, राजसमन्द	कुम्भलगढ
2	प्रधानाचार्य, राउमावि आकली, बाङमेर	श्री भगत सिंह परिहार, व्या. राउमावि आकली, बाङमेर	शिव
3	प्रधानाचार्य, राउमावि बेदू, जोधपुर	श्री छोटूराम राव, व्या. राउमावि बेदू, जोधपुर	ओसियां
4	प्रधानाध्यापक, रामावि धोरेला, माण्डलगढ, भीलवाड़ा	श्री दिनेश कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य, राबाउमावि बीगोद, माण्डलगढ, भीलवाड़ा	माण्डलगढ
5	प्रधानाचार्य, राउमावि भण्डेडा, नैनवां, बूंदी	श्री रिकू कुमार, व्या. राउमावि भण्डेडा, नैनवां, बूंदी	नैनवां
6	प्रधानाचार्य, राउमावि भूणास, सहाड़ा, भीलवाड़ा	श्री सत्यनारायण चेचाणी, व्या. राउमावि भूणास, सहाड़ा, भीलवाड़ा	गंगपुर
7	प्रधानाचार्य, राउमावि पाल, प्रतापगढ	श्री पवन कुमार मीणा, व्या. राउमावि पाल, प्रतापगढ	प्रतापगढ
8	प्रधानाध्यापक, रामावि लोड़ीमाण्डवी, प्रतापगढ	श्री केवलचन्द लबाना, प्रधानाध्यापक, रामावि जगलावदा, प्रतापगढ	धरियावद
9	प्रधानाचार्य, राउमावि आड़, प्रतापगढ	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, व्या. राउमावि आड़, प्रतापगढ	प्रतापगढ
10	प्रधानाचार्य, राआउमावि पृथ्वीपुरा, प्रतापगढ	श्री कैलाश चन्द्र यादव, प्रधानाचार्य, राआउमावि नायन, प्रतापगढ	पीपलखुंट
11	प्रधानाचार्य, राआउमावि गागरोल, प्रतापगढ	श्री बाबूलाल कुमावत, व्या. राआउमावि गागरोल, प्रतापगढ	छोटीसाद डी
12	प्रधानाचार्य, राउमावि भरकुण्डी, प्रतापगढ	श्री इन्द्राज सिंह, व्या. राउमावि भरकुण्डी, प्रतापगढ	धरियावद


 वित्तीय सलाहकार,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/19-20/
 प्रतिलिपि:

दिनांक: 29.11.2019

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


 वरिष्ठ लेखाधिकारी, 29/11/19
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र०सं०	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	12.11.2019	12	4	उपकोष बावड़ी के स्थान पर उपकोष रामगंजमण्डी संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।



वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/19-2
प्रतिलिपि:

दिनांक : 29.11.2019

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर